विविध पत्रा. 2020/0

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

श्रीमति बलजीत कौर बनाम नायब सिंह व अन्य
वादपत्र संख्या 2020/045
online #
अन्तर्गत धारा 53,88,90,92ए राज. काश्तकारी अधि.

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
09.09.2020	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करने पर पत्रावली जिला अभिलेखागार कलक्टर श्रीगंगानगर से तलब की गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2016 को जारी कर सहबन से जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर में जमा करवा दि गयी थी। पत्रावली पुनः तलब की गयी एवं पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 28 सितम्बर 2020 को पेश हो।	
28/9/2020	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-10-2020 को पेश हो।	
12/10/2020	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/11/2020 को पेश हो।	
3.11.2020	आज पीठासीन अधि[illegible] ~~पर~~ है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6.11.2020 को पेश हो।	
6/11/2020	आज पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त ~~पर~~ है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/11/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested

30/09/24 अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता/... धारा बहस हेतु समय चाहा। ... वास्ते बहस दिनांक 18.10.24 को पेश हो।

18.10.24 अधिवक्ता वादी उप० बहस हेतु समय चाहा, स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 06.11.24 को पेश हो।

06.11.24 अधिवक्ता वादी उप० बहस हेतु समय चाहा, स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 04.12.24 को पेश हो।

4/12/24 आज पीठासीन अधिकारी ... कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

19.12.24 अधिवक्ता वादी उप० बहस हेतु समय चाहा, स्वीकार किया जाता है। पत्रावली ... हेतु दिनांक 08.01.25 को पेश हो।

[illegible]

08/01/25 अधिवक्ता वादी उप० बहस हेतु ... पत्रावली वास्ते ... हेतु दिनांक 15.01.25 को पेश हो।

15-1-25 आज पीठासीन अधिकारी ... में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ... को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:12 IST
Reason: Self Attested

21/01/25 [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 2020/045
अन्तर्गत धारा 53, 88, 90, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती बलजीतकौर धर्मपत्नी श्री नायबसिंह आत्जा श्री दलीपसिंह, जटसिख, डूमछेड़ी तहसील चमकौर साहब जिला रोपड़ वर्तमान गांव दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर. ....**वादिया**

बनाम

1. नायबसिंह आत्मज श्री नन्दसिंह, जटसिख, दुल्लापुरकेरी, वर्तमान कैदी केन्द्रीय जेल, श्रीगंगानगर,
2. रविन्द्रसिंह आत्मज श्री नायबसिंह, जटसिख, डूमछेड़ी तहसील चमकौर साहब जिला रोपड(पंजाब),
3. तजेन्द्रसिंह आत्मज श्री सोहनसिंह, जटसिख चक 5 डी वड़ी, दुल्लापुरकेरी,
4. श्रीमती कुलदीपकौर कथित पत्नी श्री नायबसिंह, जटसिख, चक 5 डी वड़ी, दुल्लापुरकेरी,
5. गुरतेजसिंह आत्मज श्री मन्दरसिंह, जटसिख, चक 5 डी बड़ी दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,
7. जगतारसिंह एवं
8. श्रीमती अमनप्रीतकौर आत्मजन श्री नायबसिंह, जटसिख, चक 5 डी बड़ी दुल्लापुरकेरी वर्तमान डूमछेड़ी तहसील चमकौर साहब जिला रोपड(पंजाब) ......**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री विनोद कुमार भाटी (वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–6)

दिनांकः– 21 जनवरी, 2025

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/22 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 3/1 से 8, 14, से 17, 24 एवं 25 की 2.781 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि वादिया, प्रतिवादी संख्या 01, प्रतिवादी संख्या 02 एवं स्व. श्री मघरसिंह, श्री मन्दरसिंह के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है. जिसके अनुसार वादिया के नाम 0.253 हैक्टर दर्ज है तथा वादिया के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 4 व 5 में चला आ रहा है. वादिया के पति प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा द्वारा अपने सगे भाई मघरसिंह की हत्या करने के परिणामतः जिला कारागृह में है तथा उसकी गलत हरकतों के कारण क्योंके उसके द्वारा अपने सगे भाई मन्दरसिंह की धर्मपत्नी श्रीमती कुलदीपकौर के साथ नाजायज सम्बन्ध बना लिये जिसके कारण श्री मन्दरसिंह द्वारा आत्महत्या कर ली तथा नायबसिंह ने मन्दरसिंह की धर्मपत्नी श्रीमती कुलदीपकौर से कथित विवाह कर लिया जिससे उसकी तीन सन्तानें उत्पन्न हुई. वादिया अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहती है जिसके लिये विभाजन आवश्यक है. मघरसिंह का देहान्त दिनांक 08 नवम्बर, 2014 [illegible] जिसके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 30 अक्तूबर, 2013 को अपनी सम्पूर्ण चल [illegible] अचल सम्पत्ति की वसीयत अपने भतीजे श्री रविन्द्रसिंह उर्फ [illegible] के पक्ष में [illegible] का पता चला है इसलिये श्री रविन्द्रसिंह को प्रतिपक्षकार बनाया गया है. प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से न केवल मामला, लगान आदि बल्कि बारी पानी को लेकर भी आये दिन झगड़ा होता रहता है. इसलिये वादिया प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन करवा कर किलावाईज पृथक खाता दर्ज करवाना चाहती है जिसके लिये विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. इस प्रकार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/22 मुरब्बा नम्बर 32 के 2.781 हैक्टर कृषि भूमि का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य विभाजन कर वादिया के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

...र्ड 0.253 हैक्टर कृषि भूमि किला नम्बर 4 व 5 में कब्जाकाश्त के अनुसार किया
...र पृथक खाता एवं मामला कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों
...समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 एवं पंजीबद्व दस्तावेज उपहारपत्र दिनांक
...मार्च, 2010 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 07, 08 की तलबी हेतु जारी पंजीकृ सम्मन बाद ...त प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 11 अगस्त, ...5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02, 07 एवं 08 के विरूद्व, प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्व ...क 23 नवम्बर, 2015, आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2016 को प्रतिवादी संख्या 04 व ...व आदेश दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय ...ही की गयी. प्रतिवादी संख्या 06 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 06 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा उपस्थित आकर ...वादपत्र दिनांक 26 अप्रेल, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्य ...कार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय ...रित किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 07 एवं 08 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने ...ा प्रतिवादी संख्या 06 राज्य पक्ष की ओर से वादपत्र में राज्यपक्ष से अनुतोष नहीं ...हे जाने के तथ्यों के परिणामतः विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं होने के ...रिणामतः साक्ष्य वादी हेतु श्रीमती बलजीतकौर द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया ...या. जिससे राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जिरह नहीं किये जाने के कथन ...ताक्षरित किये गये.

वकील वादिया की बहस सुनने के पश्चात् वकील वादीगण के निवेदन पर वाद ...दिया आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार राजस्व ...गंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा ...रिए कमांक 4146 दिनांक 25.11.2020 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील ...दिया द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद ...की किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

वाद वादिया स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिया को निम्न ...कार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

वादिया को चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख ...माबन्दी सम्बत् 2069–72 के अनुसार खाता संख्या 25/22 मुरब्बा नम्बर 32 किला ...म्बर 3/1 से 8, 14, से 17, 24 एवं 25 की 2.781 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से ...रब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 5/2 में 0.126 हैक्टे0 व किला नम्बर 6/1 में 0. ...27 हैक्टे0 कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेगें। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर डिकी ...र्वी जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार ...जस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति ...र्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर ...लग अलग लगान कायम किया जावे तथा ... किस्म (यथा ...हरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी, किस्म में किसी प्रकार का कोई बदलाव ...हीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ...ाज दिनांक 21 जनवरी, 2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 2020/045
अन्तर्गत धारा 53, 88, 90, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती बलजीतकौर धर्मपत्नी श्री नायबसिंह आत्मजा श्री दलीपसिंह, जटसिख, डूमछेड़ी तहसील चमकौर साहब जिला रोपड़ वर्तमान गांव दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर. ....वादिया

बनाम

1. नायबसिंह आत्मज श्री नन्दसिंह, जटसिख, दुल्लापुरकेरी, वर्तमान कैदी केन्द्रीय जेल, श्रीगंगानगर,
2. रविन्द्रसिंह आत्मज श्री नायबसिंह, जटसिख, डूमछेड़ी तहसील चमकौर साहब जिला रोपड(पंजाब),
3. तजेन्द्रसिंह आत्मज श्री सोहनसिंह, जटसिख चक 5 डी बड़ी, दुल्लापुरकेरी,
4. श्रीमती कुलदीपकौर कथित पत्नी श्री नायबसिंह, जटसिख, चक 5 डी बड़ी, दुल्लापुरकेरी,
5. गुरतेजसिंह आत्मज श्री मन्दरसिंह, जटसिख, चक 5 डी बड़ी दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,
7. जगतारसिंह एवं
8. श्रीमती अमनप्रीतकौर आत्मजन श्री नायबसिंह, जटसिख, चक 5 डी बड़ी दुल्लापुरकेरी वर्तमान डूमछेड़ी तहसील चमकौर साहब जिला रोपड(पंजाब) ......**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री विनोद कुमार भाटी (वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–6)

वादपत्र संख्या 2020/045
अन्तर्गत धारा 53, 88, 90, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी एवं पैरोकार राज प्रतिवादी–06 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि – वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिया **श्रीमती बलजीत कौर** को चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–72 के अनुसार खाता संख्या 25/22 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 3/1 से 8, 14, से 17, 24 एवं 25 की 2.781 हैक्टे[illegible] कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 5/2 में 0.126 हैक्टे0 व किला नम्बर 6/[illegible] हैक्टे0 कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। [illegible] डिक्री जारी की जाती है। खर्चा [illegible] प्रकरण [illegible] रुपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....ब्याज शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा [illegible]।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 जनवरी, 2025 को जारी की गयी।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
य वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
य अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
ल शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
युक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:12 IST
Reason: SelfAttested